बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या-11/ विविध-6-02/2014 /पटना, दिनांक 2014

आदेश

नेपाल हितकारी योजना-2009 गंडक प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुख्य पश्चिमी नहर दायां एफलक्स बाँध, टटिया खोल मार्जिनल बाँध एवं दोन ब्रांच कैनाल के जीर्णोद्धार कार्य हेतु कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, बोकारो स्टील सिटी के साथ रू0 137.584 करोड़ का एकरारनामा दिनांक 06.02.11 को किया गया था जिसकी कार्य समाप्ति की तिथि 25.03.12 थी । एकरारित कार्य तीन प्रमंडलों के क्षेत्रान्तर्गत प्रतिवेदित था ।

उक्त तीन प्रमंडलों में से नेपाल हितकारी योजना-2009 गंडक प्रोजेक्ट के तहत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल के अंतर्गत कराये जा रहे पुनर्स्थापन कार्य के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की जाँच निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना द्वारा की गई । जिसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई । समीक्षोपरान्त कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा सोची-समझी साजिश के तहत एकरारनामा के विपरीत कार्य में स्थानीय सामग्रियों का प्रयोग कर सामग्रियों की ढुलाई मद में वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानित दर पर अनियमित भुगतान प्राप्त कर सरकारी राशि गबन करने की मंशा परिलक्षित पाया गया । कंपनी द्वारा समर्पित खनिज अभिवहन चालान (ट्रांसपोर्ट चालान) भी फर्जी/ अवैध पाये जाने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । अवैध चालान समर्पित करना भी विभाग से धोखाघड़ी की मंशा स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है, जिसके लिये सम्वेदक कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के विरूद्ध कालीकरण की कार्रवाई हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुमोदित है ।

उपरोक्त वर्णित आरोप निबंधन नियमावली के नियम- 11 (क) (ii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में पाये जाने के कारण निबंधन नियमावली के नियम 11 (ख) में निहित प्रावधानों के तहत सम्वेदक से विभागीय पत्रांक 954 दिनांक 25.02.14 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई । उक्त पत्र में यह भी उल्लेख है कि स्पष्टीकरण पन्द्रह दिनों के अंदर उपलब्ध करायेगें अन्यथा विभाग एकतरफा निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा ।

उक्त पत्र स्पीड पोस्ट से दिनांक 26.02.14 को भेजा गया । दिनांक 19.03.14 तक सम्वेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह माना गया कि उपरोक्त आरोपों के संदर्भ में उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है । फलतः उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) (ii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित मानते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के नियम

11 (ग) में वर्णित प्रावधानों के तहत कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, मु0- 201, को-ऑपरेटिव कॉलनी, पो0- बोकारो स्टील सिटी, जिला- बोकारो, पिनकोड- 827001 के निबंधन संख्या- 11/2011 (प्रथम श्रेणी) को काली सूची में डाला जाता है ।

ह0/-
(राम पुकार रंजन)
अभियन्ता प्रमुख (मध्य)
जल संसाधन विभाग ।

निबंधित ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपिः- कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, निदेशक- श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मु0- 201, को-ऑपरेटिव कॉलनी, पो0-बोकारो स्टील सिटी, जिला- बोकारो, पिनकोड-827001 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(राम पुकार रंजन)
अभियन्ता प्रमुख (मध्य)
जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक 1240 दिनांक 24.03.14

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/4, पटना/ श्री गजानंद मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके गैर सरकारी प्रेषण संख्या- 30 दिनांक 13.02.14 के प्रसंग में/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/ आई.टी. मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

24/03/14
(राम पुकार रंजन)
अभियन्ता प्रमुख (मध्य)
जल संसाधन विभाग ।